In the Court of Sri Umesh Rai,
District & Additional Sessions Judge-10,
Rohtas at Sasaram
A.B.P. No. :– 589/2026

न्यायालय, श्री उमेश राय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–10, सासाराम, रोहतास।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :– 589/2026
उत्पन्न– बड्डी थाना कांड संख्या :– 01/2026

1. सुरेन्द्र बिन्द उर्फ सुरेन्द्र कोमार, उम्र लगभग 28 वर्ष
2. शंकर बिन्द उर्फ शंकर कुमार, उम्र लगभग 27 वर्ष, दोनों पिता– राजेन्द्र बिन्द
दोनों निवासी ग्राम– कुशहर, थाना– बड्डी, जिला– रोहतास। .....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी।

आ दे श

13.03.2026 उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदकगण 1. सुरेन्द्र बिन्द उर्फ सुरेन्द्र कोमार एवं 2. शंकर बिन्द उर्फ शंकर कुमार के द्वारा बड्डी थाना कांड संख्या– 01/2026, अन्तर्गत धारा– 126(2), 115(2), 118(4), 117(2), 352, 109 एवं 3(5) बी.एन.एस. में गिरफ्तारी के भय से बचने के लिये दाखिल किया गया है। आवेदन, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीत सिंह एवं बिहार सरकार के तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजकिशोर विश्वकर्मा को अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना।

सूचक शम्भू बिन्द के लिखित आवेदन का संक्षिप्त कथन यह है कि सूचक दिनांक 01.01.2026 को समय लगभग 7 बजे शाम को मंदिर से पूजा एवं दीया जलाकर आ रहा था तभी रास्ते में मंदिर के पास नशे में रामदयाल बिन्द गंदी–गंदी गाली देने लगा। मना करने पर बात का बतंगड बनाकर अपने पुत्र को सुमेर बिन्द को बुला लिया। सुमेर हाथ में लिए कुदाल से सूचक के सिर पर मारकर सिर फोड़ दिया तथा सिर से खून बहने लगा। बाद में समूह बनाकर सुरेन्द्र बिन्द, विरेन्द्र बिन्द, शंकर बिन्द, किसान बिन्द, रमेश बिन्द सभी हाथ में लाठी–डंडा लेकर ललकार के पिटवा रहे थे। कुछ देर बाद राहुल बिन्द, रोहित बिन्द हाथ में फाईटर लगाकर चंद्रमा बिन्द एवं अरूण बिन्द को मारकर सिर फोड़ दिए एवं जख्मी कर दिए।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। जैसा आरोप लगाया गया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। वर्तमान मुकदमे का एक पलटा मुकदमा बड्डी थाना कांड संख्या 2/2026 दर्ज है जिसकी प्रति संलग्न है। दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर लिया है, पलटा मुकदमा में भी सुलह कर लिया है। धारा 109 एवं 118 बी.एन.एस. आवेदकगण के विरूद्ध लागू नहीं होता है। आवेदकगण बी.एन.एस.एस. की धारा 482(2) के तहत निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि आवेदकगण अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता

है कि मामला दोनों पक्षों के बीच मारपीट करने का है। उभयपक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज है। अभिलेख पर सुलहनामा संलग्न है। उभयपक्षों ने न्यायालय में उपस्थित होकर मुकदमे में सुलह करने की बात को स्वीकार किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं घटना की प्रकृति को देखते हुये आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है और आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है विचारण न्यायालय में आदेश प्राप्ति तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर विचारण न्यायालय में उपस्थित हों और विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदकगण को निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थित होने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में आवेदकगण द्वारा मो0 10,000/– रूपये का बंध पत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभूओं को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने तथा बी.एन.एस.एस. की धारा 482(2) में दिये गये शर्तो का पालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)
ह0/–
(उमेश राय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–10
सासाराम, रोहतास।
दिनांक :– 18.03.2026